संoसo–16 / एम.1–69 / 2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग,ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– शेखपुरा जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08/2020 के आलोक मे बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक मे स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या–305(आ.चि.), दिनाक–14.03.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णत· औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनो का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों मे पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नही मिलने के कारण तदुपरांत आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–743(आ.चि.), दिनाक–19.07.2024 द्वारा यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अति0प्रा0स्वा0 के0/औषधालयों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक मे सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय मे अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ0चि0) दिनाक 20.12.2024 द्वारा दिनांक 20.07.2024 तक योगदान करनेवाले नवनियुक्त आयुष फिजिषियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा मे बितायी गयी अविध को कतिपय शर्तो के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग के प्रासगिक पत्र के आलोक मे जिन यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2024 के उपरांत योगदान दिया है एव विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत् हैः–

12/03/26

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० राशिद हुसैन यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, एकाडा, चेवाडा	दिनाक 15 03 2024 से 23 07 2024 तक 131 दिन	—	05122425057710		प्रशिक्षण अवधि
2	डॉ० जफर ईमाम यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, चेवाडा	दिनाक 15 03 2024 से 23 07 2024 तक 131 दिन	—	06122425057803		प्रशिक्षण अवधि
3	डॉ नूसरत जबी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, अरीयरी	दिनाक 18.03 2024 से 21 07.2024 तक 126 दिन	—	23122425058821		प्रशिक्षण अवधि

उक्त अवधि मे उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–16/एम.1–69/2025 – 407 (अ॰ प्र॰) **पटना, दिनांक–** 12.3.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबधक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/26

सरकार के अवर सचिव